ACM आमेर प्र. क्र. 6

फर्द अहकाम

मुरारी बनाम अजित

नाम न्यायालय SDM

केस संख्या 112/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	17/11/25	पत्रावली पेश हुई । व. फ. उप., पत्रावली साबिक आदेश .... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 8/12/25 को पेश हो ।
दुरुस्ती रिपोर्ट	8/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत व.फ. उप। तहसीलदार से दुरुस्ती प्राप्त। अन्य पक्ष को ता. पेशी पर बहस करें। पत्रावली दिनांक 29/12/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	29/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत, व. फ. उप. वादी ने प्रार्थनापत्र बाबत दुरुस्ती आपत्ति पेश किया। प्रति. प्रतिवादी सं. के अधिवक्ता को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब बहस प्रार्थनापत्र दिनांक 8/1/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	8/1/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व. फ. उप.। आपत्ति/दुरुस्ती पर बहस सुनी गई। आपत्ति न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से तहसीलदार जायजा से प्राप्त दुरुस्ती के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

वाद संख्या– 112/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक 10.12.2024

1. मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र भोला
2. सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र भोला समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का वारा तहसील जालसू जिला जयपुर ।

–वादीगण

बनाम

1. अमित शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी कांकरेलिया की ढाणी भानपुरकलां जयपुर ।
2. किशन लाल पुत्र रामेश्वर लाल (फौत)
   2/1 अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र किशनलाल
   2/2 रमेश अग्रवाल पुत्र किशन लाल
   2/3 अनिता गोयल पुत्री किशन लाल पत्नी गौरीशंकर गोयल
   2/4 सुनिता अग्रवाल पुत्री किशन लाल पत्नी सुरेश अग्रवाल
   2/5 आशा पुत्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिती किशन लाल
   2/6 लोकेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिता किशनलाल
   2/7 योगेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाली दोहिता किशनलाल
   समस्त निवासी 16–17, अशोक विहार वार्ड नम्बर 17, चौमू तहसील चौमू जयपुर
3. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र भोला
4. नारायण पुत्र रामेश्वर लाल
5. सीता देवी अग्रवाल पुत्री भोला
   समस्त समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।
7. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।

...... प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:52 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 08.01.2026

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम दुर्गाकाबास पटवार क्षेत्र दुर्गा का बास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 2. के खसरा नम्बर 329. रकबा 0.7800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 333 रकबा 0.3900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 439 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर में यादीगण का

हिस्सा 1/8–1/8 निहित हैं, तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज एंव अंकित चला आ रहा है। वादीगण उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकवा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करता आ रहा है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को एतद्पश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एंव अंकित चली आ रही है इसलिये वादीगण ने समय–समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरतें रहें परन्तु अब चूँकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आरांजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द एवं प्लोटिंग कर विक्रय करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय – हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर सह– हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एंव विधिक रिकार्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जावें :– (31) यह कि विधिक विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की मद नंबर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम, दुर्गाकाबास पटवार क्षेत्र दुर्गा का बास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 2 के खसरा नम्बर 329 रकबा 0.7800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 333 रकबा 0.3900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 439 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर में वादीगण का हिस्सा 1/8–1/8 का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण के निहित हिस्सा को वादीगण की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादीगण के हिस्से का राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे अर्थात निषेद्ध रखें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायीं रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:52 IST
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 2/1 ता 2/7 व 4 की तलवी जरिये अखबार से की जा चुकने के उपरांत भी बावजूद

तामील कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध दिनांक 18.08.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 5 को जवाब दावे के अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नहीं करने पर इनका जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद पत्र की मद संख्या–1 में अंकित भूमि की खातेदारी का अंकन स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद संख्या 2 में अंकित कथन इस संशोधन के साथ स्वीकार हैं कि पक्षकारान ने आपस में आपसी समझ से बाहमी बंटवारा कर रखा हैं। वादग्रस्त आराजी संपूर्ण ही के पूर्व दिशा में ग्राम खपरिया की सीमा में वादग्रस्त आराजी के लगती हुई, उत्तर दक्षिण पक्की सडक राजकीय बनी हुई है। अर्थात् संपूर्ण भूमि मुख्य सडक से लगती हुई हैं तथा वादग्रस्त आराजी के बीच में से खसरा संख्या यक कलक्टर मेनू जयपुर 34 रास्ता हैं, जो कदीम से ही बन्द पड़ा हुआ हैं। संपूर्ण भूमि के पूर्व दिशा में सड़क हैं। पक्षकारान ने जो बाहमी बंटवारा कर रखा हैं उसमें मिनजवाबदाता प्रतिवादी संख्या 3 दिनेश कुमार का कब्जा खसरा संख्या 439 व 333 में हैं, जिसे जवाब दावे के साथ अतिआवश्यक हैं। वाद पत्र की मद संख्या 8 में जिस प्रकार कथन किया यह कि वादपत्र की मद संख्या हैं, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नही हैं। वादग्रस्त आराजी का मिनजवाबदाता के पिता भोला के जीवनकाल में ही वाहमी बंटवारा कर लिया गया था, उसी अनुसार काबिजकाश्त हैं । जिसमें मिनजवाबदाता के हक में वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 439 व 333 में कब्जा संभलाया गया था, जिसे रूप में अंकित किया गया हैं । उक्त हरे रंग वाले भाग पर मिनजवाबदाता भाग को नजरिये नक्शे में हरे रंग की लाईनो से दर्शाया गया हैं । जिन्हें 439 ध 1 व 333 ध2 के मिनजवाबदाता काबिजकाश्त हैं जिसको अपनी लागत से समतल कर विकसित की हैं। जिससे नजरिये नक्शे में हरे रंग से दर्शित भाग को मिनजवाबदाता के हक में रखा जाकर, विधिक विभाजन किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं।

उभयपक्ष ने उपस्थित होकर जाहिर किया की वाद प्राथमिक डिकी कर दिया जावे। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रस्तुत जवाब दावा, वादपत्र एवं दौराने बहस किये गये तथ्यो पर मनन किया। प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जाहिर किया की जवाब दावा के साथ नजरी नक्शा पेश किया गया है, उस अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जावे । प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। चुकि सभी पक्षकारान कब्जे काश्त के मध्यनजर बंटवारा करवाना चाहते है अतः वाद इसी प्रकार प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान के टुकडे नही हो ... कब्जे काश्त को ध्यान में रखा जावे। तहसीलदार जालसू जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वाके राजस्व ग्राम दुर्गाकाबास पटवार क्षेत्र दुर्गा का बास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसु, जिला जयपुर में भूमि आराजी के खसरा नम्बर 329 रकबा 0.7800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 333 रकबा 0.3900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 439 रकबा 05200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6900 हेक्टेयर का राज. टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना कर जमाबंदी में अंकित हिस्सेनुसार, उपरोक्त आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:52 IST
Reason: SelfAttested

नम्बरान के टुकडे नहीं हो तथा कब्जे काश्त के मध्यनजर, उभयपक्ष को नोटिस देकर विभाजन कुर्रेजात तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर शीघ्र इस न्यायालय में प्रेषित करने हेतू आदेशित किया गया। प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार जालसू जयपुर को कुर्रेजात हेतु तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार जालसू जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/5264 दिनांक 19.11.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। उभयपक्ष की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व किसी प्रकार के कोई नोटिस नही दिये ना ही स्वयं मौके पर उपस्थित होकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई बल्कि पटवारी हल्का द्वारा केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 3 से मिलीभगत करते हुये उक्त कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई है जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय हैं। वादीगण के कब्जे–काश्त व खातेदारी की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को प्रदान की गई हैं, जिसमें वादीगण के पिता का बोरिंग व बिजली का कनेक्शन अन्य की खातेदारी में कुरेजात रिपोर्ट में दिया गया हैं। ऐसी स्थिति में कुरेजात रिपोर्ट पूर्णतः विधि विधान के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विभाजन के नियम 18 से 21 के विपरीत होने से निरस्त कर पुनः मंगवाया जावे।

हमने बहस एवं पत्रावली तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादीगण ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 19–11–2025 पर मुख्य रूप से यह आपत्तियां दर्ज कराई हैं कि: (1) मौका निरीक्षण के समय उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, (2) प्रतिवादी संख्या 3 से मिलीभगत कर रिपोर्ट तैयार की गई, और (3) वादीगण के पिता का बोरिंग व बिजली कनेक्शन अन्य खातेदार के हिस्से में दर्शा दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है ।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मौका नक्शा और तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट का गहनता से विश्लेषण करने पर वादी की आपत्तियां निम्न आधारों पर अस्वीकार (खारिज) किए जाने योग्य हैं: **मौका स्थिति व कब्जे की प्रधानता:** प्रारंभिक डिक्री में स्पष्ट आदेश [illegible] 'कब्जे काश्त' को ध्यान में रखते हुए किया जाए । तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ [illegible] में खसरा नं 329, 333 एवं 439 का भौतिक विभाजन पक्षकारों के [illegible] कब्जे [illegible] सुगम रास्ते की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। नक्शे [illegible] 439 के भाग (जैसे 333/1, 333/2, 439/1 आदि) स्पष्ट रूप से एक सीध में और रास्ते के लगते हुए काटे गए हैं, जो कि भूमि के उचित उपयोग और काश्तकारी नियमों (Rule 18–21 of Tenancy Rules) के अनुकूल प्रतीत होते हैं।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:52 IST
Reason: SelfAttested

2

साक्ष्य का अभाव: वादी ने अपनी आपत्ति में यह कथन किया है कि उनका बोरिंग और बिजली कनेक्शन दूसरे के हिस्से में चला गया है, परन्तु इस कथन के समर्थन में कोई भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो बिजली का बिल पेश किया गया है वह शामलाती है, मात्र मौखिक कथन के आधार पर एक लोक सेवक (Public Servant) द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य निर्वहन में तैयार की गई रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत शासकीय कार्यो की सत्यता की उपधारणा (Presumption of correctness) होती है, जब तक कि उसे ठोस सबूतों से खंडित न किया जाए। **नोटिस व मिलीभगत का आरोप:** वादी का यह आरोप कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया और मिलीभगत की गई, निराधार प्रतीत होता है। तहसीलदार की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि मौका मुआयना स्थानीय पटवारी व गिरदावर द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार किया गया है। नक्शे में सभी पक्षकारों (अमित, सीता देवी, दिनेश, मुरारीलाल, सुनील आदि) के नाम और हिस्से का स्पष्ट अंकन है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति केवल बंटवारा प्रक्रिया को विलंबित करने का एक प्रयास प्रतीत होती है, क्योंकि प्रस्तावित नक्शा सभी खातेदारों को सड़क/रास्ते की सुविधा समान रूप से प्रदान करता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि तहसीलदार जालसू द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट संख्या 5264 दिनांक 19–11–2025 और संलग्न नक्शा पूर्णतः न्यायोचित, विधिसम्मत और मौके की स्थिति के अनुरूप है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां बलहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं। वाद तद्नुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. अनिता गोयल पुत्री किशनलाल हिस्सा 211/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, अनिल कुमार पुत्र किशनलाल हिस्सा 211/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, अमित शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा हिस्सा 6337/8450 जाति बागडा ब्राहम्ण मकान संख्या 00 कॉलोनी कांकरेयिा की ढाणी, भानपुरकंला क्षेत्र (स्थान जयपुर शहर–302028), आशा अग्रवाल पुत्री महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हिस्सा 71/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, नारायण पुत्र रामेश्वर लाल हिस्सा [illegible] जाति महाजन सा. देह खातेदार,योगेन्द्र अग्रवाल पुत्र [illegible] हिस्सा 71/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, रमेश कुमार पुत्र किशनलाल हिस्सा 211/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, लोकेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हिस्सा 71/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, सुनिता अग्रवाल पुत्री किशनलाल हिस्सा 211/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 329 रकबा 0.78 बारानी 3 एवं खसरा नम्बर 333/1 रकबा 0.0650 बारानी 3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.8450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

2. सीता देवी अग्रवाल पुत्री भोला जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 333/2 रकब 0.2000 हैक्टेयर बारानी 3 एवं खसरा नम्बर 439/1 रकबा 0.0112 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2112 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र भोला जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 333/3 रकबा 0.1250 बारानी 3 एवं खसरा नम्बर 439/2 रकबा 0.0862 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2112 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र भोला जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 439/3 रकबा 0.2113 रकबा बारानी 3 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2113 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. सुनिल कुमार अग्रवाल पुत्र भोला जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 439/4 रकबा 0.2113 बारानी 3 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2113 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू, जयपुर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:52 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

वाद संख्या– 112/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक 10.12.2024

1. मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र भोला
2. सुनील कुमार अग्रवाल पुत्र भोला समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का बारा तहसील जालसू जिला जयपुर ।

–वादीगण

बनाम

1. अमित शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी कांकरेलिया की ढाणी भानपुरकलां जयपुर ।
2. किशन लाल पुत्र रामेश्वर लाल (फौत)
   2/1 अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र किशनलाल
   2/2 रमेश अग्रवाल पुत्र किशन लाल
   2/3 अनिता गोयल पुत्री किशन लाल पत्नी गौरीशंकर गोयल
   2/4 सुनिता अग्रवाल पुत्री किशन लाल पत्नी सुरेश अग्रवाल
   2/5 आशा पुत्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिती किशन लाल
   2/6 लोकेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाल दोहिता किशनलाल
   2/7 योगेश अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार अग्रवाली दोहिता किशनलाल
   समस्त निवासी 16–17, अशोक विहार वार्ड नम्बर 17, चौमू तहसील चौमू जयपुर
3. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र भोला
4. नारायण पुत्र रामेश्वर लाल
5. सीता देवी अग्रवाल पुत्री भोला
   समस्त समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।
7. उप पंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर

...... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:52 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनांक 08.01.2026

तहसीलदार जालसू जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. अनिता गोयल पुत्री किशनलाल हिस्सा 211/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, अनिल कुमार पुत्र किशनलाल हिस्सा 211/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार,

अमित शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा हिस्सा 6337/8450 जाति बागड़ा ब्राहम्ण मकान संख्या 00 कॉलोनी कांकरेयिा की ढाणी, भानपुरकंला क्षेत्र (स्थान जयपुर शहर–302028), आशा अग्रवाल पुत्री महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हिस्सा 71/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, नारायण पुत्र रामेश्वर लाल हिस्सा 1056/850 जाति महाजन सा. देह खातेदार,योगेन्द्र अग्रवाल पुत्र महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हिस्सा 71/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, रमेश कुमार पुत्र किशनलाल हिस्सा 211/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, लोकेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार माता मंजू देवी हिस्सा 71/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार, सुनिता अग्रवाल पुत्री किशनलाल हिस्सा 211/8450 जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 329 रकबा 0.78 बारानी 3 एवं खसरा नम्बर 333/1 रकबा 0.0650 बारानी 3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.8450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. सीता देवी अग्रवाल पुत्री भोला जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 333/2 रकब 0.2000 हैक्टेयर बारानी 3 एवं खसरा नम्बर 439/1 रकबा 0.0112 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2112 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र भोला जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 333/3 रकबा 0.1250 बारानी 3 एवं खसरा नम्बर 439/2 रकबा 0.0862 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2112 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र भोला जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 439/3 रकबा 0.2113 रकबा बारानी 3 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2113 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. सुनिल कुमार अग्रवाल पुत्र भोला जाति महाजन सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 439/4 रकबा 0.2113 बारानी 3 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2113 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 08.01.2026 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:52 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर
[illegible] मु0 जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	[illegible]	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर	4 रुपये		फीस कमिश्नर	4 रुपये	
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर